कार्यालय
प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
औरैया।

पत्रांक–प्र0स्व0रा0चि0म0वि0 / एस0आर0 / 2023–24 /179 दिनांक– 31/05/2023

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक–ए0एस0एम0सी0 / 1 / 2023–24 / 10 दिनांक–05.04.2023 के विज्ञप्ति द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय औरैया हेतु विभिन्न विभागों में रिक्त सीनियर रजिडेन्ट (वेतनमान रू0–67700 एवं ग्रेड वेतन रू0–6600) के लिए सम्पन्न वॉक इन इन्टरव्यू एवं सिलेक्शन कमेटी की संस्तुति के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी अविलम्ब स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय औरैया में उपस्थित होकर निम्न शर्तो के अधीन कार्यभार ग्रहण करना सुनिशिचित करें।

01. यह आवश्यक होगा कि नियुक्ति आदेश के 07 कार्य दिवस के भीतर संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
02. इनकी सेवायें पूर्ण रूप से अस्थाई है और किसी भी समय किसी ओर से एक माह पूर्व सूचना अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर सेवायें बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
03. सीनियर रेजिडेन्ट द्वारा मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिये बाध्य नही करेगा और न ही कही प्राइवेट प्रेक्टिस करेगा।
04. उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्वन्धन नियमावली, 1983 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नही होगी। प्राईवेट प्रैक्टिस के निर्बन्धन के सम्बन्ध में आपके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र निष्पादित करना होगा, जिसके उल्लघन पर आपको सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
05. प्रत्येक माह आपके कार्यो का मूल्यांकन किया जायेगा, असन्तोषजनक पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
06. कार्यो में शिथिलता एवं सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
07. 02 माह से कम सेवा के लिये अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत नही किया जायेगा तथा 01 माह से कम सेवा के लिये कोई वेतन देय नही होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता / अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के तत्काल प्रभाव से सेवायें समाप्त कर दी जायेगी तथा सेवा समाप्त होने के समय से किसी प्रकार का वेतन देय नही होगा एवं सिक्योरटी भी देय नहीं होगी।
08. आपको किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय / नौकरी / अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नही होगी।
09. सीनियर रेजिडेन्ट स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय औरैया के आकस्मिक अनुभाग / कोविड–19 / आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपस्थित रहना होगा।
10. यह नियुक्ति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा त्रैमासिक समीक्षा एवं मूल्याकन के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
11. किसी भी सीनियर रेजिडेन्ट को कार्यभार ग्रहण करने कि तिथि से 03 माह पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से त्याग–पत्र दिये जाने की अनुमति नही होगी अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित सीनियर रेजिडेन्ट के एक माह का वेतन आहरित नही किया जायेगा।
12. कार्यस्थल पर समयवद्वता अनिवार्य है। परन्तु बिना प्रतिस्थानी की उपलब्धता के कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
13. किसी भी प्रकार का हड़ताल या आन्दोलन करने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
14. कार्यभार ग्रहण करने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
15. स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के सीनियर रेजिडेन्ट हेतु जो अवकाश अनुमन्य हो।

Scanned with CamScanner

कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/घोषणा पत्र मूलप्रति एवं 02 छायाप्रतियों में प्रस्तुत करने होगे।

(A) आयु प्रमाण–पत्र (हाईस्कूल अथवा समकक्ष योग्यता का प्रमाण–पत्र) प्रस्तुत करने होगें।

(B) समस्त शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव से सम्बन्धित मूल प्रमाण–पत्र एवं उनकी सत्यापित प्रतिलिपिया।

(C) आधुनान्त जाति प्रमाण–पत्र (समक्ष अधिकारी द्वारा)– यदि लागू हों।

(D) एम0सी0आई0 द्वारा जारी स्थाई पंजीककरण प्रमाण–पत्र जो उत्तर प्रदेश मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत हों।

(E) स्वयं की घोषणायें–

- चरित्रवान होने की बचनद्धता पत्र पूर्व संस्था से/राजपत्रित अधिकारी से।
- इस आशय का घोषणा पत्र कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये, उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र तथा घोषणायें पूर्णतया सत्य है, यदि कोई घोषणा/प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो आपको पदच्युत कर दिया जाये/अनुशासनिक कार्यवाही की जायें।
- पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र।
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अधिकृत सी0एम0ओ0/सरकारी चिकित्सालय के सी0एम0एस0/सिविल सर्जन।
- विकलांगता प्रमाण पत्र/ई0डब्लू0एस0 प्रमाण पत्र, जिस पर लागू हो।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
औरैया।

पत्रांक–प्र0स्व0रा0चि0म0वि0/जे0आर0/2023–24 /179–(08) तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।
03. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय औरैया।
04. प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान मेडिकल कालेज औरैया।
05. प्रभारी अधिकारी वेवसाइट मेडिकल कालेज औरैया का इस निर्देशित के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज की वेवसाइड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
06. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 100 शैय्या युक्त जिला चिकित्सालय, औरैया।
07. सूचना पट स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय औरैया।
08. गार्ड फाइल।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
औरैया।

Dr. (Col) Arvind Singh Kushwaha
Principal
Autonomous State Medical College
Auraiya

Scanned with CamScanner

सीनियर रेजिडेन्ट चयनित अभ्यर्थियों की सूची

क्र0स0	सीनियर रेजिडेन्ट का नाम	पिता/पति का नाम	विभाग का नाम	श्रेणी
1	ईसादी दिब्या	श्री एस0के0 उपाध्याय	ऑब्स्ट्रेटिक्स एंड गयनेकोलोजी	UR
2	अंशिका जयसवाल	श्री अशोक जयसवाल		OBC
3	अभीष जयसवाल	श्री दिनेश चन्द्र जयसवाल	जनरल मेडिसिन	UR

Dr. (Col) Arvind Singh Kushwaha
Principal
Autonomous State Medical College
Auraiya

Scanned with CamScanner